फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

शिवसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 85/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रघूवीरसिंह राजपूत के वारिसान है जिनकी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी भूमि वाके ग्राम उदयपुरा तह0 सिकराय में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नंबर 394/231 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा रहे है। प्रार्थीगण की आराजियात खाता संख्या 132 पुराना 129 खसरा संख्या 391/231 रकबा 7.05 है0 बिस्वा भूमि संवत 2068 से 2071 तक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सही अंकन चला आ रहा है। संवत 2072 से 2075 की जमाबंदी के समय आराजी साबिक खसरा नंबर 391/231 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा का दौराने सेटलमेण्ट नवीन खसरा संख्या 292 कायम किए गए जिसका रकबा 1.8200 है0 के स्थान पर सहवन से 0.3300 है0 गलत अंकित कर दिये गये जिससे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 7 बिघा 5 बिस्वा के स्थान पर 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.3300 है0 ही रह गयी उक्त राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत इन्द्राज दौराने सैटलमेण्ट कर्मियों द्वारा किया गया था जिससे वर्तमान में भी आराजी खसरा नंबर 292 का रकबा 0.3300 है0 ही है जो गलत इन्द्राज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 292 में दौराने सैटलमेण्ट साबिक खसरा नंबर 392/231 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा का नवीन खसरा नंबर 292 का रकबा कम कर 1.8200 ह0 के स्थान पर मात्र 0.3300 है0 कर दिय जाने से प्रार्थीगण की भूमित 1.4900 है0 राजस्व रिकॉर्ड में कम हो गयी है। जिससे प्रार्थीगण को क्षति कारित हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 292 रकबा 0.3300 को दुरूस्त कर सैटलमेण्ट पूर्व खसरा संख्या 392/231 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा के अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुतोष में प्रार्थीगण द्वारा इस्तदुआ चाही है कि प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नंबर 292 का साबिक खसरा नंबर 392/231 रहे है जिसका रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा था लेकिन सैटलमेण्ट द्वारा वर्तमान रकबा कम कर केवल 0.3300 है0 दर्ज किया गया है जिससे प्रार्थीगण की भूमि का रकबा कम हो गया जिसे दुरूस्त किया जावे। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण की भूमि का साबिक खसरा नंबर 392/231 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा रहा हो। इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा